हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

बुलेटिन-भाग-2

(संसदीय एवं अन्य विषयों सम्बन्धी सामान्य सूचना)

17 नवम्बर, 2015 /26 कार्तिक, 1937 (शक्)

संख्या : 310

सदन की दीर्घाओं हेतु प्रवेश-पत्र

सत्र के दौरान दीर्घाओं में आगन्तुकों के प्रवेश के लिए निर्धारित प्रवेश पत्रों पर सम्बन्धित सदस्य द्वारा प्रमाणित प्रपत्र एक दिन पूर्व प्रवेश पत्र जारी करने वाले कक्ष के सम्बन्धित कर्मचारी को उपलब्ध कर देना आवश्यक है। जिस व्यक्ति को माननीय सदस्य दीर्घा में प्रवेश की संस्तुति करते हैं उसके आचरण का पूर्णतः उत्तरदायित्व सम्बन्धित माननीय सदस्य का ही होगा। निर्धारित प्रपत्र सचिवालय की प्रशासन शाखा से उपलब्ध किए जा सकते हैं।

निर्धारित दिन के लिए अपेक्षित प्रवेश-पत्र उससे एक दिन पूर्व वाले कार्य दिवस को दोपहर 12.00 बजे जारी किए जाएंगे। यदि स्थान उपलब्ध हो तो उस अवस्था में प्रवेश-पत्र अपेक्षित दिन को भी प्रातः 10.00 बजे के पश्चात् दिए जा सकते हैं।

अध्यक्ष की विशेष अनुज्ञा के अतिरिक्त कोई भी प्रवेश-पत्र दीर्घा में एक घण्टे से अधिक अवधि के लिए बैठने को जारी नहीं किया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देशों का भी अवलोकन करें।

सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।